तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
18/2/2025	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि सांझा खाता की भूमि है जिसमें से अप्रार्थीगण बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी अच्छी भूमि पर जबरदस्ती काबिज होकर भूमि को बेचान करने पर उतारू हो रहे है तथा प्रार्थी को उसके कब्जा काश्त से बैदखल करने पर आमदा है। इसलिये प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।	

दूसरी तरफ वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाब के तथ्यो को दोहराया है। अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया है कि अप्रार्थीगण प्रार्थी को किसी भी प्रकार से उसके हक हिस्सा से बैदखल नहीं कर रहे है तथा सांझा खाता में अच्छी–अच्छी भूमि का बैचान कानूनन हो ही नहीं सकता केवल अपने हक हिस्सा का ही बेचान हो सकता है। प्रार्थी द्वारा अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि पर ऋण ले रखा है लेकिन कृषि भूमि पर स्थगन होने के कारण अप्रार्थीगण को अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में परेशानी हो रही है। इसलिये प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

वकुलाए फरिकैन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की भूमि है। संयुक्त खाता की भूमि के सहकाश्तकार केवल अपना हिस्सा की भूमि को बैय कर सकता है वह भूमि के किसी विशिष्ट भाग को बैय नहीं कर सकता है। अप्रार्थीगण भूमि के रिकार्डेड खातेदार है। जिन्हे अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग उपभोग का पूर्ण अधिकार है। इसलिये अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में ना होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः उपरोक्त विवेचन आदि के आधार पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10.07.2024 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 18/2/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

...यक कलक्टर एवं
...अधिकारी
...

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.03.01 13:19:44 IST
Reason: SelfAttested